न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—66/20 (2020/00125) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मूला पिता हरलाल माली निवासी लाठियाखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—हेमराज पिता ज्वारा जाट निवासी लाठियाखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—भैरूलाल पिता ज्वारा जाट निवासी लाठियाखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—शान्ति बेवा ज्वारा जाट निवासी लाठियाखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — प्रार्थी अधिवक्ता
2. जाकिर हुसैन — विपक्षीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 03.11.2020

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम लाठियाखेड़ी पटवार हल्का गलवा तहसील रायपुर के बैरून हल्के आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 557/219 रकबा 0.66 है0 भूमि स्थित है। इसी प्रकार विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 572/220 रकबा 0.50 है0 व आराजी संख्या 558/219 रकबा 1.03 है0 खाता संख्या 11 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में वर्तमान जमाबन्दी मय नक्शाट्रेस प्रस्तुत की है। प्रार्थी अपनी उक्त वर्णित आराजी संख्या 557/219 में संज, बैल, गाड़ी, टेक्ट्रर पैदल आदि सहित आवागमन ग्राम लाठियाखेड़ी के मुख्य रास्ते से होते हुए आराजी संख्या 345 गै.मु. रास्ता से होकर विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 572/220 की पूर्वी पाली पर होकर अपनी आराजी में सदैव आते जाते रहे है इसी रास्ते से होकर प्रार्थी अपने खेत में फसल बुवाई करता रहा है उक्त आराजी प्रार्थी ने विपक्षीगण कि पिता ज्वारा पिता उंकार जाट से करीब 20 वर्ष पूर्व खरीदी थी तब से प्रार्थी इसी रास्ते से आवागमन कर रहा है। प्रार्थी को अपने खेतो में आवागमन हेतु जाने के लिए मौके पर अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है प्रार्थी भूमि बेचान करते समय विपक्षीगण के पिता ने आश्वासन दिया कि रास्ते के संबध में कोई बाधा या विवाद नही करेंगे लेकिन विपक्षीगण ने उनके पिता की मृत्यु उपरान्त रास्ता रोक दिया है। वर्तमान में रास्ता बंद है जिसे खोलने हेतु प्रार्थी ने दिनांक 01.06.2020 को कहा लेकिन विपक्षीगण ने साफ तौर पर मना कर दिया और कहने लगे कि रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। उक्त वर्णित रास्ता प्रार्थी के लिये अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। अतः सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी की आराजी संख्या 557/219 रकबा 0.66 है0 में संज, बैल, गाड़ी, ट्रेक्टर पैदल सहित आवागमन करने का जो रास्ता विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 3 की आराजी संख्या 572/220 व 558/219 की पूर्वी पाली पर 15 फीट चौड़ाई में रास्ते को बिलानाम दर्ज करवाकर राजस्व रेकार्ड में किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश प्रार्थी के पक्ष में एवं विप[illegible] के विरूद्व प्रदान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 12:04:12 IST
Reason: SelfAttested

कराया जावे एवं रास्ते में समायोजित होने वाले रकबे की डी.एल.सी. विपक्षीगण को दलाई जाकर रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 13.07.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणो को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 के अधिवक्ता जाकिर हुसैन द्वारा अधिकार पत्र एवं जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली है। विपक्षीगण 1 लगायत 3 की ओर से जवाब में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को गलत बताते हुए अस्वीकार किया। प्रार्थी द्वारा विपक्षी की आराजी की पूर्वी पाली पर न तो कभी आवागमन किया ओर न वर्तमान मे है। प्रार्थी ने अपनी आराजी के चारो तरफ दीवार कर रखी है और रास्ते के कोई अलामात नही है। प्रार्थी व उसके भाई कालु को विपक्षी के पिता व पति के खातेदारी भूमि 35 वर्ष पहले आराजी नम्बर 557/219 व आराजी संख्या 217 विक्रय की गई। प्रार्थी आराजी संख्या 217 में होकर आवागमन करता है। जहां लोहे का गेट लगा हुआ है रास्ते की भूमि छुटी हुई है। विपक्षी की आराजी में कोई रास्ता नही है, प्रार्थी द्वारा विपक्षी की आराजी में चाहा गया रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता नही है। प्रार्थी के भतीजे की आराजी संख्या 217 की पूर्वी पाली पर रास्ता बना हुआ है जो प्रार्थी की आराजी तक जा रहा है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र गलत झुठे एवं मनगठत तथ्यो पर आधारित होने पर स्वीकार योग्य नही है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि उक्त आराजी 557/219 रकबा 0.66 है0 पर आवागमन का वर्तमान में कोई रास्ता बना हुआ नही है। मौके पर रास्ता बना हुआ नही है मौके पर आराजी संख्या 217 रकबा 0.43 है0 की पूर्वी मेड़ पर राजस्व नक्शे में हरी स्याही से अंकन अनुसार रास्ता बना हुआ था जिसे संबधित खातेदार ने लोहे की फाटक लगाकर बन्द कर रखा है। मौके पर आराजी नम्बर 217 रकबा 0.43 है0 में वर्णित विवादित रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। वर्तमान में उक्त आराजी नम्बर 557/219 रकबा 0.66 है0 पर कही से भी होकर आया जाया नही जा रहा है। प्रार्थी खातेदार द्वारा चाहा गया रास्ता जो आराजी नम्बर 558/219 रकबा 1.03 है0 मे से 0.01 है0, आराजी संख्या 572/220 रकबा 0.50 है0 मे से 0.05 है0 की डीएलसी दर 85050 रूपये प्रति बीघा होने से भूमि किमत 23625 रूपये के दुगुनी 47250 रूपये मुआवजा राशि बनती है। वर्तमान में कोई रास्ता नही है फिर भी पूर्व में खातेदार आराजी नम्बर 217 रकबा 0.43 है0 की पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे होकर आवागमन करता था जिसे वर्तमान में सम्बधित खातेदार उंकार पिता कालु माली नि0 गोविन्दपुरा ने बन्द कर रखा है प्रार्थी द्वारा खातेदार चाहे गये रास्ते को राजस्व नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। मौके पर आराजी संख्या 217 रकबा 0.43 है0 की पूर्वी मेड़ पर राजस्व नक्शे में हरी स्याही से दर्शाया गया रास्ता की वैकल्पिक रास्ते के रूप में बताया गया है जिसका रकबा 0.03 है0 रकबा रास्ते के रूप में प्रस्तावित होता है। जिसकी मुआवजा राशि के रूप में 23625 रूपये बनती है।

प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा बहस में मुख्य कथन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते को डीएलसी दर पर रास्ता उपलब्ध कराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे। एवं विपक्षी अधिवक्ता द्वारा जवाब में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र खारीज फरमाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 12:04:12 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड तथा तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी द्वारा विपक्षीगण के पिता व पति से भूमि कय की गई है और इसी तरह से आराजी संख्या 217 के खातेदार को भी भूमि विकय की गई है। आराजी संख्या 217 का खातेदार रास्ते से लगा हुआ है। और प्रार्थी की कयशुदा भूमि रास्ते से हटकर पिछे स्थित है। प्रार्थी द्वारा जो रजिस्टर्ड दस्तावेज पेश किया गया है उसके अकिंत किया गया कि विक्रेता उपरोक्त भूमि मे से 3 बीघा 1 बिस्वा भूमि सम्पूर्ण हक हकुब, पाली डोली, झाड़ वृक्ष एवं आवागमन के रास्ते सहित अधिकार दिया गया है जो केता स्वेच्छानुसार उपभोग करे जिसमें मेरे वारीसान को कोई आपत्ति व दखल नही होगा। इसी दस्तावेज अनुसार प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु रास्ता प्राप्त करने का अधिकारी है। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा बहस में कहा कि प्रार्थी 217 में होकर आवागमन कर सकता है जो वैकल्पिक रास्ते के रूप में है किन्तु इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा आराजी संख्या 217 के खातेदार से कोई सहायता नही चाही गई है। प्रार्थी विक्रेता परिवार से ही रजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर रास्ता चाहता है और प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते से ही विपक्षी भी 558 / 219 में आवागमन सुविधायुक्त कर सकेगा। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम लाठियाखेड़ी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 558 / 219 रकबा 1.03 है0 मे से 0.01 है0, आराजी संख्या 572 / 220 रकबा 0.50 है0 मे से 0.05 है0 की डीएलसी दर 85050 / –रूपये प्रति बीघा होने से भूमि किमत 23625 / –रूपये के दुगुनी 47250 / –रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा विपक्षी खातेदारान को मुआवजा भूगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार रायपुर को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड ...) सत्यमेव जयते

3/11/2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक ... अधिकारी
रायपुर (भीलवाड़ा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 12:04:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—66/20 (2020/00125) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—मूला पिता हरलाल माली निवासी लाठियाखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—हेमराज पिता ज्वारा जाट निवासी लाठियाखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—भैरूलाल पिता ज्वारा जाट निवासी लाठियाखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—शान्ति बेवा ज्वारा जाट निवासी लाठियाखेड़ी तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4—राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट</u>

प्रेषित :—<u>तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के आधार पर आदेश दिया जाता है कि ग्राम लाठियाखेड़ी तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु विपक्षीगण की आराजी नम्बर 558/219 रकबा 1.03 है0 मे से 0.01 है0, आराजी संख्या 572/220 रकबा 0.50 है0 मे से 0.05 है0 की डीएलसी दर 85050/—रूपये प्रति बीघा होने से भूमि किमत 23625/—रूपये के दुगुनी 47250/—रूपये मुआवजा राशि बनती है जिसका प्रार्थी द्वारा विपक्षी खातेदारान को मुआवजा भूगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम सरकार गे.मु. रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 03.11.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया।

3-11-2020

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2020.12.22 12:04:12 IST
Reason: SelfAttested